

कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

पत्रांक: 543 / जि०यो 08-प्र०वि०स्वी० / 2023-24 दिनांक: 08-नवम्बर, 2023

कार्यालय ज्ञाप

सचिव रा०यो०आ०, नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 460/168/वा०जि०यो०/रा०यो०आ०/ 2016-17 दिनांक 24 मार्च 2023 एवं अपर सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 123241/14 (150) 2017/XXVII (1)/2023 दिनांक 19 मई, 2023 द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे प्रावधानित जिला योजना की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने हेतु प्रथम किस्त में अनुदान संख्या -07 सामान्य हेतु 1555.16000 लाख रू०, अनुदान संख्या- 30 एस०सी०पी० हेतु 528.33334 लाख रू० तथा अनुदान संख्या - 31 टी०एस०पी० हेतु 131.33334 लाख रू० इस प्रकार कुल 2214.82668 लाख रू० तथा द्वितीय किस्त में अपर सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 157499/14 (150) 2017/XXVII (1)/2023 दिनांक 27 सितम्बर, 2023 द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे प्रावधानित जिला योजना की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने हेतु द्वितीय किस्त में अनुदान संख्या -07 सामान्य हेतु 3110.32000 लाख रू०, अनुदान संख्या - 30 एस०सी०पी० हेतु 1056.66666 लाख रू० तथा अनुदान संख्या - 31 टी०एस०पी० हेतु 262.66666 लाख रू० इस प्रकार कुल 4429.65332 लाख रू० अधोहस्ताक्षरी के निर्वतन पर रखा गया है।

लघुडाल विभाग पिथौरागढ़ का जिला योजना 2023-24 हेतु अनुमोदित परिव्यय रू० 200.00 लाख के सापेक्ष अधिशासी अभियन्ता लघु डाल खण्ड पिथौरागढ़ को प्रथम किस्त में धनराशि 67.00 लाख की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति कार्यालय पत्रांक 243/27.06.2023, द्वारा निर्गत की जा चुकी है। अधिशासी अभियन्ता लघु डाल खण्ड पिथौरागढ़ द्वारा द्वितीय किस्त हेतु 133.00 लाख रू० की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रस्ताव निम्नानुसार प्रस्तुत किया है-


(धनराशि लाख रू० में)

क्र० सं०	मद/कार्य का नाम	योजना की लागत	वर्ष 2022-23 तक अवमुक्त धनराशि	वर्ष 2023-24 हेतु अनुमोदित परिव्यय	प्रथम किस्त में निर्गत धनराशि	द्वितीय किस्त में धनराशि की मांग			
						सामान्य	अनु० जा०	अ०ज० जा०	कुल
1	2	3	4	6	5	7	8	9	10
1	अमतड़ लिफ्ट सिचाई योजना	101.07	40.33	34.57	16.00	18.57	0.00	0.00	18.57
2	देवतपुरचौड़ा लिफ्ट सिचाई योजना	98.00	35.62	32.04	10.00	22.04	0.00	0.00	22.04
3	नौलड़ा लिफ्ट सिचाई योजना (नई योजना)	69.09	28.37	40.00	24.00	16.00	0.00	0.00	16.00
4	रूईना थल लि०सि०यो०	180.00	0.00	30.00	2.00	28.00	0.00	0.00	28.00
5	अस्याली लि०सि०यो०	90.00	0.00	16.00	2.00	14.00	0.00	0.00	14.00
6	लेपार्ती लि०सि०यो० (एस०सी०पी०)	185.00	0.00	32.00	11.00	0.00	21.00	0.00	21.00
7	पतेत लि०सि०यो०	140.00	0.00	15.39	2.00	13.39	0.00	0.00	13.39
	योग-	863.16	104.32	200.00	67.00	112.00	21.00	0.00	133.00

उक्त शासनादेशों में दिये गए निर्देशानुसार तथा अधिशासी अभियन्ता लघु डाल खण्ड पिथौरागढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के कम में जिला योजना वर्ष 2022-23 के उक्त बचन बद्ध मद/चालू कार्यो के सम्पादन हेतु अधिशासी अभियन्ता लघु डाल खण्ड पिथौरागढ़ को मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 624/जि०यो०/रा०यो०आ०/मु०स०/2008 दिनांक 24.03.2008 व सचिव रा०यो०आ०, नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 460/168/वा०जि०यो०/रा०यो०आ०/2016-17 दिनांक 24 मार्च 2023 एवं अपर सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 123241/14 (150) 2017/XXVII(1)/2023 दिनांक 19 मई, 2023 तथा द्वितीय किस्त अपर सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 157499/14 (150) 2017/XXVII (1)/2023 दिनांक 27 सितम्बर, 2023 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार कुल रू० 133.00 लाख (एक करोड़ तैंतीस लाख रूपये मात्र), की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है-

- उक्त धनराशि का व्यय जिला योजना समिति द्वारा वर्ष 2023-24 हेतु स्वीकृत कार्यो पर ही किया जाय। व्यय केवल उन्ही योजनाओं के अर्न्तगत किया जाय, जिनके लिये यह स्वीकृति जारी की जा रही है तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है। धनराशि का अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
- उक्त व्यय में बजट मैन्युअल वित्तीय हस्त पुस्तिका टेण्डर/कोटेशन विषयक नियम तथा शासन द्वारा मितव्ययता विषय में समय-समय पर जारी आदेशों का पालन किया जाये।
- स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत ही व्यय किया जायेगा, व्याघिक्य किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

- (2)
- 4- जिन कार्यों का प्राविधान स्वीकृत विस्तृत आगणन में नहीं है उन कार्यों पर न तो कोई व्यय किया जाय और ना ही कोई वित्तीय वायदा किया जायेगा।
- 5- उक्त धरनाशि का व्यय मानकों के आधार पर ही किया जायेगा तथा योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण शासन को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करा दिया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 6- प्रश्नगत कार्यों के विस्तृत आगणन पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति निर्गत करने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ किये जायेगे एवं तत्पश्चात् ही उन कार्यों पर व्यय किया जायेगा।
- 7- बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया में अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर बजट सीमा में प्रति माह 5 तारीख तक प्रपत्र बी0ए04 पर विभागाध्यक्ष को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।
- 8- इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में किसी प्रकार का अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धरनाशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाय।
- 9- उक्त धरनाशि का व्यय जिला योजना समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों हेतु अनुमोदित लागत सीमा में निर्धारित/आवृत्त परिचय के अर्न्तगत ही किया जाय।
- 10- सम्बन्धित विभाग द्वारा वास्तविक व्यय को पृथक-पृथक राजस्व-पूँजीगत मदों के अन्दर वर्गीकृत किया जायेगा।
- 11- जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों के कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात् फोटोग्राफ्स भविष्य के अवलोकन हेतु सुरक्षित रखे जाये।
- 12- उत्तराखण्ड शासन वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7 के पत्र संख्या 129/XXXVII(7)32/2007 दिनांक 14 जुलाई 2017 द्वारा जारी उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्राक्चूरमेंट) नियमावली 2017 का अनुपालन करेंगे तथा आदेश संख्या 475/XXXVI4I(1)/2008 दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण एजेंसी से एम0ओ0यू0 अवश्य किया जाय।
- 13- जिला योजना एक वार्षिक योजना है अतः किसी भी दशा में वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत में अवशेष धरनाशि को बुक ट्रांसफर के माध्यम से सुसंगत प्राप्त लेखा शीर्षक में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- 14- किसी भी दशा में पी0एल0ए0 से धरनाशि आहरित कर बैंक में नहीं रखी जायेगी।
- 15- स्वीकृत की जा रही धरनाशि एच0ओ0डी0 कोड 8012 से सम्बन्धित विभाग के आहरण वितरण अधिकारी के कोड में परिवर्तित कर सम्बन्धित विभाग के आहरण वितरण अधिकारी को आहरण वितरण का अधिकार प्रदत्त किया जाता है।
- 16- स्वीकृत कराये जा रहे कार्यों के आगणनों की टी0ए0सी0 से स्वीकृति ली जायेगी तथा टी0ए0सी0 स्वीकृति के बाद ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में आगणन गठित कर टी0ए0सी0 कराने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ किये जाय तथा टी0ए0सी0 आगणन की एक प्रति अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- 17- विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत कराये जा रहे कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित एवं स्वीकृत नहीं किये गये हैं।
- 18- उक्त स्वीकृत धरनाशि ऐसे कार्यों पर व्यय न की जाये जिस पर किसी प्रकार का विवाद हो।
- 19- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 007 के अधीन लेखा शीर्षक 2515 अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम 00, 102 सामुदायिक विकास, 91 जिला योजना, 11 जिला योजना के क्रियान्वयन हेतु एक मुश्त 42 अन्य व्यय की मानक मद के नाम में डाला जायेगा।
20. अवमुक्त धरनाशि को व्यय करने हेतु उपरोक्त बिन्दुओं का अक्षरशः पालन करने की जिम्मेदारी अधिशासी अभियन्ता लघु डाल खण्ड पिथौरागढ़ की होगी।


जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़।


पत्रांक: /जि0यो 08-प्र0वि0स्वी0/2023-24 दिनांक: . 2023

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी अभियन्ता लघु डाल खण्ड पिथौरागढ़।
2. मुख्य कोषाधिकारी, पिथौरागढ़।
3. अर्थ एवं संख्याधिकारी, पिथौरागढ़।
4. उप निदेशक, (अर्थ एवं संख्या) कुमाँयू मण्डल, हल्द्वानी।
5. निदेशक, अर्थ एवं संख्या, देहरादून।
6. मुख्य विकास अधिकारी, पिथौरागढ़।

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ प्रेषित।

1. ऑयुक्त, कुमाँयू मण्डल, नैनीताल।
2. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघुडाल/सिचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग-2/राज्य योजना आयोग बजट सैल, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. सचिव, सिचाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड, शासन देहरादून।
8. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।


जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़।